न्यायालय– विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआईएक्ट प्रकरण, हनुमानगढ़ (राज०)

पीठासीन अधिकारी	:–	**अंशिका, R.J.S.**
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:–	**1622/2023**
सी.आई.एस.नंबर	:–	**1004/2015**
सी.एन.आर. नंबर	:–	**RJHG020018912015**

टेकचंद पुत्र रामेश्वरलाल निवासी 44 एल.एल.डब्ल्यू. सादुलशहर हाल कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज०

––परिवादी

बनाम

1. राजकुमार लम्बरदार पुत्र ओमप्रकाश निवासी कलरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. शिवम ब्रिक्स कंपनी, पन्नीयावाला माहला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) जरिये प्रोपराईटर राजकुमार लम्बरदार

––अभियुक्त

–: अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 :–

उपस्थित:–
1- श्री भवानी सिंह :– विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
2- श्री खुशहाल लिम्बा :– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक:– 06.08.2026**

1. उद्भवः–

परिवादी टेकचंद के द्वारा एक परिवाद दिनांक 09.04.2014 को श्रीमान् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के समक्ष अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अभियुक्त राजकुमार लम्बरदार के विरूद्ध पेश किया गया, जहां से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक सामा./2023/33 दिनांक 19.10.2023 की पालना में परिवाद अंतरित होकर प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण का बाद विचारण एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. परिवाद के संक्षिप्त तथ्यः –

परिवाद के अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अभियुक्त

राजकुमार की परिवादी के साथ जान पहचान व संव्यवहार था। इसी संव्यवहार के चलते अभियुक्त ने परिवादी से 1,70,000/-रूपये अपने व्यापार की जरूरत हेतु उधार लिए थे, जिनके भुगतान का दायित्व स्वीकार करते हुए अभियुक्त ने परिवादी को पंजाब नेशनल बैंक शाखा अबोहर पंजाब के खाता संख्या 0001002100514374 का एक चैक नंबर 709611 दिनाँकित 19.02.2014 राशि 1,70,000/-रूपये का अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर इस आश्वासन के साथ परिवादी को सुपुर्द किया कि उक्त चैक, चैक में अंकित तिथि या उसके पश्चात बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर परिवादी को चैक में अंकित राशि का भुगतान हो जाएगा। परिवादी ने अभियुक्त के आश्वासन व वचनानुसार उक्त चैक की राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु उक्त चैक दिनाँक 22.02.2014 को अपने खाता के बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा हनुमानगढ़ टाउन में लगाया, जिसको भुगतान एवं संग्रहण हेतु अभियुक्तगण द्वारा संचालित खाता के बैंक को भेजा गया, जिसने अभियुक्तगण के खाता में अपर्याप्त राशि होने के कारण चैक् को बिना भुगतान किए "Funds Insufficient" की टिप्पणी के अनादरण ज्ञापन दिनाँक 24.02.2014 सहित परिवादी द्वारा संचालित खाता के बैंक में अनादरित कर वापिस भेज दिया गया तथा चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं हुआ। परिवादी के बैंक ने उक्त चैक मय अनादरण मीमो के परिवादी को दिनाँक 26.02.2014 को वापिस लौटा दिया। परिवादी ने उक्त असल चैक व अनादरण ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात अपने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त राजकुमार को उसके आवासीय एवं व्यापारिक पते पर दिनाँक 04.03.2014 को दो नोटिस रजिस्टर्ड डाक मय ए.डी. से भिजवाए एवं चैक अनादरण होने की सूचना दी व चैक में अंकित राशि की 15 दिवस में भुगतान करने की मांग की, जो आवासीय पते पर प्रेषित नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो चुका है तथा व्यापारिक पते पर भेजा गया नोटिस डाक लिफाफा सहित लेने से इंकार की टिप्पणी के साथ वापिस परिवादी के अधिवक्ता को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार नोटिस की सूचना अभियुक्त राजकुमार को हो चुकी है। अभियुक्त ने नोटिस की सूचना के बावजूद निर्धारित अवधि 15 दिवस में तथा आज तक उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है। इस प्रकार अभियुक्त का यह कृत्य धारा 138 पराकम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। परिवादी को अभियुक्त से चैक में अंकित राशि से दोगुनी राशि बतौर हर्जाना दिलवाया जावे।

3. प्रसंज्ञानः -

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजात के

आधार पर दिनांक 18.08.2014 को अभियुक्त राजकुमार लम्बरदार व शिवम ब्रिक्स कंपनी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण मूल फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. आरोप सारांशः -

अभियुक्त राजकुमार लम्बरदार को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का मौखिक आरोप सारांश दिनांक 07.07.2022 को सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप सारांश सुन एवं समझकर आरोपित अपण् राध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. परिवादी साक्ष्यः -

दौराने विचारण साक्ष्य परिवादी में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में परिवादी टेकचंद ने स्वयं को परीक्षित करवाया। परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गएः-

प्रदर्श पी- 1	असल चैक संख्या-709611, दिनांकित - 19.02.2014
प्रदर्श पी-2	चैक अनादरित मीमो
प्रदर्श पी- 3	रजिस्टर्ड लिफाफा
प्रदर्श पी- 4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की रसीद
प्रदर्श पी- 5	रजिस्टर्ड ए.डी.
प्रदर्श पी- 6	द्वितीय प्रति असल विधिक नोटिस
प्रदर्श पी- 7 व प्रदर्श पी- 8	रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद
प्रदर्श पी- 9	जवाब नोटिस
प्रदर्श पी- 10	चैक बाबत लिखित
प्रदर्श पी-11	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देने संबंधी पत्र

6. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सीः-

अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के दिनांक 05.08.2023 को लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने गवाह के बयानों को गलत

बताते हुए कथन किए किः "परिवादी भट्टे पर बतौर मुनीम काम करता था। उक्त चैक चालाकी व हैराफेरी से अपने पास रख लिया। इस चैक बुक में 63 चैक थे। शेष 16.04.2013 तक पास हो गए। टेकचंद चालाकी व हैराफेरी से चैक लेकर भट्टे से नौकरी छोड़कर चला गया। टेकचंद की भट्टे पर चोरी पकड़ी गई थी। मेरी इस चैक से संबंधित कोई विधिक देनदारी नहीं है।"

7. बचाव साक्ष्यः -

अभियुक्त राजकुमार लम्बरदार ने बचाव साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 1 के रूप में स्वयं को, डी.डब्ल्यू. 2 देवेंद्र कुमार तथा डी.डब्ल्यू. 3 गंगादेव को परीक्षित करवाया। अभियुक्त द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गएः-

प्रदर्श डी- 1	रिटायरमेंट डीड
प्रदर्श डी- 2	पार्टनरशिप डीड
प्रदर्श डी- 3	बैंक पर्ची
प्रदर्श डी- 4 लगायत प्रदर्श डी- 16	इंडसइंड बैंक की रसीद
प्रदर्श डी- 17 ए	बहीखाता
प्रदर्श डी-18	अकाउंट लेजर रिपोर्ट

8. बहस अंतिमः -

बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुये मुख्यतः तर्क दिया है कि अभियुक्त के प्रश्नगत चैक पर हस्ताक्षर होना साबित है। परिवादी द्वारा 138 एन.आई. एक्ट में वर्णित समस्त शर्तों की आपूर्ति कर दी गयी है, जिससे परिवादी के पक्ष में उक्त अधिनियम की धारा 118 और 139 में उल्लेखित उपधारणाये सृजित होती है। अभियुक्त उक्त उपधारणाओं को खण्डित करने में असफल रहा है। परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणाये अखण्डित रहा है, जिससे परिवादी का मामला पूर्णतयाः संदेह से परे प्रमाणित रहा है। अतः अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता मुलजिम ने तर्क प्रस्तुत किए कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में प्रश्नगत चैक पर हस्ताक्षर के नीचे पार्टनर लिखा हुआ है, प्रोपराईटर नहीं है। इस कारण से पार्टनरशिप फर्म को परिवादी ने पक्षकार नहीं बनाया है तथा चैक फर्म के नाम पर

है। परिवादी द्वारा पैसे लेनदेन की कोई डिटेल्स, कोई संव्यवहार या कोई दिनाँक अपने परिवाद पत्र में वर्णित नहीं की है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद में पार्टनर की Vicarious Liability के संबंध में कोई वर्णन नहीं किया गया है, जो कि धारा 141 एन.आई. एक्ट के प्रावधानानुसार आवश्यक है। अभियुक्त द्वारा पार्टनरशिप डीड प्रदर्श डी. 1 के रूप में पेश की गई है, जिसमें यह वर्णित है कि फर्म का प्रोपराईटर रामकुमार वर्ष 2010 में फर्म से अलग हो गया। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि परिवादी ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि परिवादी टेकचंद फर्म का मुनीम था जो वहां के दैनिक कार्यों की संभाल करता था। यदि परिवादी टेकचंद फर्म का मुनीम था, तो उसने फर्म के पार्टनर को चैक राशि कहां, कब उधार दी, क्यों उधार दी व उक्त पैसों का कोई लिखित दस्तावेज या वित्तीय हैसियत के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त फर्म का प्रोपराईटर है, जिसका टेकचंद मुनीम था व पैसों की गड़बड़ी को लेकर टेकचंद को फर्म से बाहर निकाला गया था। फर्म के परिवादी से स्ट्रेन रिलेशन होने के कारण परिवादी द्वारा अभियुक्त के हस्ताक्षरशुदा चैक का दुरूपयोग किया गया है। अभियुक्त ने अपनी साक्ष्य के जरिये भी यह बचाव पेश किया है कि उसकी चैकबुक के समस्त चैक व आखरी चैक नंबर 84 दिनाँक 05.06.2014 को उपयोग में लाया जा चुका है व परिवादी ने प्रश्नगत चैक का दिनाँक 19.02.2014 को उपयोग किया है, जो कि उसकी फर्म के मुनीम होते हुए अपने पास रख लिया था व बाद में अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा करने के लिए चैक का उपयोग किया। अभियुक्त द्वारा इसके संबंध में परिवादी को जवाब नोटिस भी दिया गया था। अधिवक्ता अभियुक्त का आगे यह कथन रहा है कि अभियुक्त को बाहुल्यता के संबंध में अपना बचाव पेश करना होता है, जिसमें वह सफल रहा है। परिवादी की अभियुक्त को चैक राशि उधार देने के संबंध में कोई वित्तीय हैसियत नहीं थी, क्योंकि उधार देने का तथ्य परिवादी द्वारा साबित नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के चैक का दुरूपयोग कर उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा बनाया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध नहीं बनता है। इस प्रकार अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणाओं को खंडित करने में सफल रहा है। अभियुक्त को झूठा फसाया गया है, अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। अभियुक्त द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए:-

1. Md. Masudul Haque Ansari @ M.H. Ansari vs. THe State of Jharkhand and Ors. Acquittal Appeal No. 10 of 2012
2. Bijoy Kumar Moni vs. Paresh Manna & Anr. Criminal Appeal No.5556

of 2024
3. Pawan Kumar Goel vs. State of U.P. & Another Criminal Appeal No. 1999 of 2022
4. D. Chandra Reddy vs.Gowrisetty Prabhakar Rao Crl. P. Nos. 2561 and 2562 of 1999
5. Siby Thomas vs. M/s. Somany Ceramics Ltd. Criminal Appeal No.3139 of 2023
6. Shivappa Reddy vs. C.K. Jagannath Criminal Appeal No. 1189 of 2007
7. Surender Saini vs. Vijay Kumar CRM-A-1992-MA OF 2017
8. Vijay vs. Laxman and another Criminal Appeal No. 260 of 2013
9. Chiranji Lal Goyal vs. Praveen Kumar Criminal Misc. No. -1906-MA OF 2016
10. Anu Bhatia vs. Dharmender Raj CRM-A NO. 891-MA OF 2014
11. Suresh vs. Narender Gautam CRM-A-492-MA OF 2012
12. Surender Singh vs. Ram Niwas Yadav CRM-A No. 1745-MA OF 2015
13. Satish Kumar vs. State Nct of Delhi and another Crl.L.P. No. 95 of 2006
14. John K. Abraham vs. Simon C.Abraham & Anr. Criminal Appeal No. 2043 OF 2013 2014 (1) CRIMINAL COURT CASES 058 (S.C.)
15. Pawan Kumar vs. Sunil Kumar CRM-A No. 79-MA OF 2018(O&M)
16. Rahul Agarwal vs. State of U.P. and Ors. Criminal Appeal No. 2525 of 2026

दौराने बहस रिबटल अधिवक्ता परिवादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि परिवाद में परिवाद ने फर्म को अभियुक्त संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया है। परिवादी ने प्रदर्श पी. 10 पंचायत की लिखित का दस्तावेज पेश किया है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी का अभियुक्त के साथ लेनदेन था। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध के सभी आवश्यक तत्व मौजूद होने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट की उपधारणा ली जा सकती है। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई में इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणाओं को खंडित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

9. अवधार्य बिंदुः -

मेरे द्वारा उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु हैः-

(क) क्या अभियुक्त ने ऋण अथवा अन्य दायित्व के पूर्णतः या आंशिक संदाय हेतु परिवादी को स्वयं के खाते से एक चैक संख्या 709611 राशि रुपये 1,70,000/-(अक्षरे एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) दिनाँक 19.02.2014 का जारी किया है?

(ख) क्या परिवादी द्वारा उक्त चैक लिखे जाने की तारीख से 6 माह अथवा चैक की वैधता की अवधि जो भी पूर्व हो, के भीतर उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा "Funds Insufficient" की टिप्पणी के आधार पर अनादरित कर लौटा दिया गया है?

(ग) क्या परिवादी द्वारा बैंक से चैक के अनादरण की सूचना प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अभियुक्त को लिखित में सूचना देकर उक्त चैक में वर्णित राशि की मांग किए जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर परिवादी को राशि का संदाय नहीं किया गया है?

(घ) यदि हां, तो दण्ड की मात्रा?

10. न्यायालय का विवेचन व निष्कर्षः -

10.1 चैक अनादरण के अपराध के गठन हेतु धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे एन.आई. एक्ट कहा जाएगा) में वर्णित समस्त आवश्यक शर्तों का एक साथ पूर्ण होना आवश्यक है। सर्वप्रथम उक्त विचारणीय बिन्दु (क) के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि गवाह पी. डब्ल्यू - 1 टेकचंद ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र इस आशय का पेश किया है किः -"अभियुक्त राजकुमार की शपथकर्ता के साथ जान पहचान व संव्यवहार था। इसी संव्यवहार के चलते अभियुक्त ने शपथकर्ता से 1,70,000/-रूपये अपने व्यापार की जरूरत हेतु उधार लिए थे, जिनके भुगतान का दायित्व स्वीकार करते हुए अभियुक्त ने शपथकर्ता को पंजाब नेशनल बैंक शाखा अबोहर पंजाब के खाता संख्या 0001002100514374 का एक चैक नंबर 709611 दिनाँकित 19.02.2014 राशि 1,70,000/-रूपये का अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर इस आश्वासन के साथ शपथकर्ता को सुपुर्द किया कि उक्त चैक, चैक में अंकित तिथि या उसके पश्चात बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर शपथकर्ता को चैक में अंकित राशि का भुगतान हो जाएगा।" परिवादी द्वारा उक्त चैक को प्रदर्श पी. 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है।

चैक प्रदर्श पी. 1 का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त चैक अभियुक्त राजकुमार द्वारा परिवादी टेकचंद को जारी किया गया है। उक्त चैक पर अभियुक्त के ए से बी भाग पर हस्ताक्षर है। गवाह पी.ड. 1 परिवादी से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है कि चैक प्रदर्श पी. 1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हो। अभियुक्त ने अपने धारा 313 सी.आर.पी.सी. के बयानों में भी ऐसा कोई बचाव नहीं लिया है कि उक्त चैक प्रदर्श पी. 1 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। अभियुक्त का यह बचाव नहीं

है कि चैक प्रदर्श पी. 1 पर उसके हस्ताक्षर कूटरचित है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार चैक प्रदर्श पी. 1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का तथ्य साबित है।

10.2 इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा,** (2019) 5 SCC 418 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि **"Once the execution of cheque is admitted section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability-"** इस प्रकार प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का तथ्य साबित होने से परिवादी के पक्ष में धारा 139 एन.आई.एक्ट. की उपधारणा लागू हो जाती है।

10.3 चूंकि चैक प्रदर्श पी. 1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना साबित हुआ है। अतः एन.आई. एक्ट के विधिक प्रावधानों व उक्त न्यायिक दृष्टांत से परिवादी के पक्ष में एन.आई. एक्ट की धारा 118 (क), 118 (छ) व धारा 139 में वर्णित उपधारणा का सृजन होता है। धारा 118 (क) के प्रावधानानुसार चैक धारक के पक्ष में यह उपधारणा है कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित हुई थी तथा धारा 118 (छ) के प्रावधानानुसार चैक धारक के पक्ष में यह उपधारणा है कि वह सम्यक् अनुक्रम धारक है, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। वहीं धारा 139 में चैक धारक के पक्ष में यह उपधारणा है कि चैक धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया। अतः परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा की जाती है कि वह चैक प्रदर्श पी. 1 का सम्यक अनुक्रम धारक है तथा उसने अभियुक्त से चैक प्रदर्श पी. 1 ऋण राशि 1,70,000/- रुपये की अदायगी हेतु प्राप्त किया है।

10.4 धारा 118 (क), 118 (छ) व धारा 139 एन.आई. एक्ट में वर्णित उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की हैं। अभियुक्त उक्त उपधारणाओं का खण्डन संभावना बहुल्यता के माध्यम से साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर अथवा परिवादी से जिरह में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से कर सकता है।

10.5 हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा यह बचाव लिया गया है कि परिवादी ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त फर्म में मुनीम का कार्य करता था। परिवादी ने अभियुक्त को चैक राशि 1,70,000/-रूपये जैसी बड़ी रकम कब दी, इसका कोई वर्णिन परिवाद व नोटिस में नहीं किया गया है। परिवादी ने अभियुक्त को पैसे उधार देने की अपनी वित्तीय हैसियत के संबंध में भी कोई कथन अपने परिवाद पत्र व बयानों में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अभियुक्त फर्म के साथ लेनदेन संबंधी

दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए हैं। इस प्रकार परिवादी की अभियुक्त को 1,70,000/-रूपये उधार देने की आर्थिक क्षमता नहीं रही है, जिससे परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणाएं खंडित होती हैं।

इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य शपथ पत्र में अपनी आय का स्त्रोत नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने कथन किया है कि उसने राजकुमार को 24.01.2014 को पैसे दिए थे। उसने भट्टे पर दिनाँक 16.04.2010 को बतौर मुनीम काम शुरू किया था व परिवादी ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि उसने पैसे देने की दिनाँक 24.01.2014 ना ही परिवाद व ना ही नोटिस में अंकित की है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य जान पहचान तथा संव्यवहार के चलते अभियुक्त ने परिवादी से 1,70,000/-रूपये अपने व्यापार की जरूरत हेतु उधार लिए थे, जिस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस यह कथन रहा है कि परिवादी द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परिवादी का अभियुक्त फर्म के साथ या अभियुक्त के साथ पैसों का लेनदेन था। अभियुक्त की ओर से यह भी बचाव लिया गया है कि परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त पार्टनरशिप फर्म शिवम ब्रिक्स कंपनी में एक पार्टनर था। परिवादी द्वारा कोई भी कारण नहीं बताया गया है कि परिवादी के फर्म में मुनीम होने के बावजूद उसने अभियुक्त को पैसे क्यों उधार दिए व उसकी 1,70,000/-रूपये देने के संबंध में हैसियत किस प्रकार थी। **परिवादी ने अपने बयान पी.ड. 1 की जिरह में यह कथन किया है कि उसने पैसे देने के संबंध में कोई डायरी पेश नहीं की है। इस संबंध में परिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि परिवादी के अभियुक्त या उसकी पार्टनरशिप फर्म में मुनीम होने के कारण अपनी आय का कोई विवरण नहीं देने के बावजूद 1,70,000/-रूपये जैसी बड़ी रकम वर्ष 2014 में एक साथ अभियुक्त को उधार देना संभव नहीं है। परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कथन भी नहीं किया गया है कि उसने अभियुक्त को 1,70,000/-रूपये अपनी आय व बचत से दिए हों। परिवादी ने अपने बयानों व साक्ष्य में कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसे उक्त 1,70,000/-रूपये कहां से प्राप्त हुए।** अभियुक्त द्वारा परिवादी की आर्थिम क्षमता को प्रश्नगत करते हुए प्रोबेबल डिफेंस लिया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Tedhi Singh Versus Narayan Dass Mahant 2022 Supreme(SC) 325; 2022 6 SCC 735** में निम्न मत प्रतिपादित किया गया है किः-

9. The Trial Court and the First Appellate Court have noted that in the

case under Section 138 of the N. I. Act the complainant need not show in the first instance that he had the capacity. The proceedings under Section 138 of the N. I. Act is not a civil suit. At the time, when the complainant gives his evidence, unless a case is set up in the reply notice to the statutory notice sent, that the complainant did not have the wherewithal, it cannot be expected of the complainant to initially lead evidence to show that he had the financial capacity. To that extent the Courts in our view were right in holding on those lines. **However, the accused has the right to demonstrate that the complainant in a particular case did not have the capacity and therefore, the case of the accused is acceptable which he can do by producing independent materials, namely, by examining his witnesses and producing documents. I**t is also open to him to establish the very same aspect by pointing to the materials produced by the complainant himself. He can further, more importantly, achieve this result through the cross examination of the witnesses of the complainant. Ultimately, it becomes the duty of the Courts to consider carefully and appreciate the totality of the evidence and then come to a conclusion whether in the given case, the accused has shown that the case of the complainant is in peril for the reason that the accused has established a probable defence.

इस प्रकार परिवादी द्वारा अपने बयानों में इस बाबत कोई कथन या कोई विश्वसनीय मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि उसके पास अभियुक्त को उधार देने के लिए 1,70,000/-रूपये थे।अतः परिवादी अपनी रूपये उधार देने की वित्तीय हैसियत को साबित करने में असफल रहा है।

10.6 इसके अतिरिक्त अभियुक्त का यह बचाव रहा है कि परिवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह अभियुक्त फर्म का मुनीम था व फर्म का लेनदेन मुनीम द्वारा देखा जाता था, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा प्रदर्श डी. 3 लगायत प्रदर्श डी. 16 दस्तावेज पेश किए गए हैं व अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा आगे कथन किया गया है कि परिवादी टेकचंद अभियुक्त राजकुमार के बी हाफ पर पैसे जमा करवाता था व उसके द्वारा फर्म के सभी लेनदेन संबंधी कार्यों की संभाल की जाती थी, जिसके चलते परिवादी ने अभियुक्त के हस्ताक्षरशुदा चैक का दुरूपयोग किया है। अभियुक्त ने बतौर डी.ड. 1 अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनाँक 19.05.2012 को टेकचंद की चोरी पकड़ी गई थी, भट्टे के हिसाब में गड़बड़ी पाई गई और टेकचंद शर्मा मुनीम को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसका जिरह में परिवादी द्वारा कोई खंडन नहीं किया गया है। न्यायालय के मत में परिवादी यह साबित करने में असफल रहा है कि जब परिवादी को उक्त फर्म से वर्ष 2012 में ही निकाल दिया गया था, तो परिवादी ने फर्म शिवम ब्रिक्स कंपनी का चैक वर्ष 2014 में किस विधिक ऋण की अदायगी हेतु प्राप्त किया, जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर थे।

10.7 अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी बचाव रहा है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में

किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप फर्म शिवम ब्रिक्स कंपनी के साथ लेनदेन होने या चैक के संबंध में अभियुक्त राजकुमार की बतौर पार्टनर जिम्मेवारी होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। आगे कथन किया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत चैक प्रदर्श पी. 1 फर्म का चैक है। चैक प्रदर्श पी. 1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उस पर Drawer व हस्ताक्षर के स्थान पर पार्टनर लिखा है व अभियुक्त ने प्रदर्श डी. 1 व प्रदर्श डी. 2 पार्टनरशिप फर्म के संबंध में पार्टनरशिप डीड व रिटायरमेंट डीड दस्तावेज पेश किया है, जिससे यह प्रकट होता है कि फर्म शिवम ब्रिक्स कंपनी Sole Proprietorship फर्म नहीं है व अभियुक्त राजकुमार उसका Sole Proprietor नहीं है। उक्त शिवम ब्रिक्स कंपनी पार्टनरशिप फर्म है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि यद्यपि परिवादी द्वारा फर्म शिवम ब्रिक्स कंपनी को बतौर अभियुक्त परिवाद के शीर्षक में लिखा गया है व नोटिस भी दिया गया है, परंतु परिवादी का कंपनी/फर्म के साथ कोई लेनदेन, सामान देने व उधार देने के संबंध में कोई दस्तोवज पेश नहीं किया गया है तथा ना ही परिवाद में वर्णन किया गया है। केवल अभियुक्त राजकुमार के साथ जानपहचान होने व संव्यवहार के चलते उधार देने का कथन किया गया है, जिस पर न्यायालय का मत है कि परिवादी द्वारा कहीं भी अपने पक्ष में यह साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त राजकुमार की फर्म शिवम ब्रिक्स कंपनी के चैक के प्रति देनदारी है। इस संबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Rajesh Jain VS Ajay Singh 2023 0 INSC 888; 2023 0 Supreme(SC) 1025** में यह प्रतिपादित किया गया है किः-

41. In order to rebut the presumption and prove to the contrary, it is open to the accused to raise a probable defence wherein the existence of a legally enforceable debt or liability can be contested. The words 'until the contrary is proved' occurring in Section 139 do not mean that accused must necessarily prove the negative that the instrument is not issued in discharge of any debt/liability but the accused has the option to ask the Court to consider the non-existence of debt/liability so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the case, to act upon the supposition that debt/liability did not exist. [Basalingappa Vs. Mudibasappa (AIR 2019 SC 1983) See also Kumar Exports Vs. Sharma Carpets (2009) 2 SCC 513]

42. In other words, the accused is left with two options. The first option-of proving that the debt/liability does not exist-is to lead defence evidence and conclusively establish with certainty that the cheque was not issued in discharge of a debt/liability. The second option is to prove the non-existence of debt/liability by a preponderance of probabilities by referring to the particular circumstances of the case. The preponderance of probability in favour of the accused's case may be even fifty one to forty nine and arising out of the entire circumstances of the case, which includes: the complainant's version in the original complaint, the case in the legal/demand notice, complainant's case at the trial, as also the plea of the accused in the reply

notice, his 313 statement or at the trial as to the circumstances under which the promissory note/cheque was executed. All of them can raise a preponderance of probabilities justifying a finding that there was 'no debt/liability'. [Kumar Exports and Sharma Carpets, (2009) 2 SCC 513]

10.8 इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी बचाव रहा है कि उसकी चैकबुक का पहला चैक 709601 वर्ष 2011 में लगाया गया तथा 63 नंबर चैक का उपयोग वर्ष 2013 तक किया गया व अंतिम चैक नंबर 84 दिनाँक 05.06.2014 को लगाया गया, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा अपना अकाउंट स्टेटमेंट पेश किया गया है, जो कि प्रदर्श डी. 18 है व अभियुक्त का यह कथन रहा है कि परिवादी द्वारा चैक संख्या 11 को दिनाँक 19.02.2014 को देना बताया गया है, जो कि उसके कथनों पर संदेह उत्पन्न करता है व परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कहीं नहीं बताया गया है कि अभियुक्त द्वारा दिनाँक 19.02.2014 को परिवादी को फर्म से निकालने के बाद फर्म का चैक हस्ताक्षर करके क्यों दिया गया, जिसका कोई खंडन परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य या जिरह में नहीं किया गया है। उक्त सभी तथ्यों से अभियुक्त यह साबित करने में सफल रहा है कि परिवादी द्वारा चैक का दुरूपयोग किया गया है, जिसका जवाब नोटिस प्रदर्श पी. 9 में भी अभियुक्त द्वारा वर्णन किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **SANJABIJ TARI VS. KISHORE S. BORCAR & ANR. 2025 INSC 1158** में यह प्रतिपादित किया गया है किः-

"This Court in Tedhi Singh vs. Narayan Dass Mahant, (2022) 6 SCC 735 has held that the accused has the initial burden to set up the defence in his reply to the demand notice that the complainant did not have the financial capacity to advance the loan."

इस प्रकार अभियुक्त उक्त उपधारणाओं का खण्डन संभावना की बहुल्यता के माध्यम से साक्ष्य प्रतिरक्षा में करने में सफल रहा है।

10.9 इस प्रकार अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणाओं का खण्डन संभावना बहुल्यता के माध्यम से किया गया है, जिसके कारण परिवादी यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त ने ऋण अथवा अन्य दायित्व के पूर्णतः या आंशिक संदाय हेतु परिवादी को स्वयं के खाते से चैक जारी किया हो। अतः अभियुक्त के विरूद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 का अपराध नहीं बनना पाया जाता है। इस प्रकार **विचारणीय बिंदु "क"** परिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

10.10 विचारणीय बिन्दु "ख" के संबंध में सर्वप्रथम चैक प्रदर्श पी. 1 को उसकी वैद्यता अवधि के भीतर भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में चैक प्रदर्श पी. 1 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त चैक के संबंध में वैद्यता अवधि दिनांक 19.02.2014 से प्रारंभ होती है तथा रिटर्न मीमो प्रदर्श पी. 2 से यह दर्शित होता है कि उक्त

चैक दिनांक 24.02.2014 को अनादरित हुआ। अतः उक्त चैक को वैद्यता अवधि में भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट है तथा अभियुक्त की ओर से उक्त तथ्य का किसी तरह से कोई खण्डन नहीं किया गया है। जहां तक चैक के अनादरित होने का तथ्य है तो इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत चैक दिनांक 24.02.2014 को "Funds Insufficient" के कारण अनादरित हुआ है। चैक रिटर्न मीमो प्रदर्श पी. 2 पर बैंक के शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर अंकित है तथा चैक अनादरण का कारण "Funds Insufficient" अंकित है। अतः धारा 146 एन.आई. एक्ट के तहत चैक रिटर्न मीमों प्रदर्श पी. 2 से परिवादी के पक्ष में चैक प्रदर्श पी. 1 के अनादरण के तथ्य की उपधारणा सृजित होती है, जो अभियुक्त की ओर से अखण्डनीय रही है। अतः उक्त चैक प्रदर्श पी. 1 विहित समयावधि में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अनादरण होने का तथ्य परिवादी द्वारा पूर्णतः संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार **विचारणीय बिन्दु "ख"** परिवादी के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

10.11 विचारणीय बिन्दु "ग" के संबंध में परिवादी द्वारा अपने शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि "शपथकर्ता ने उक्त असल चैक व अनादरण ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात अपने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त राजकुमार को उसके आवासीय एवं व्यापारिक पते पर दिनाँक 04.03.2014 को दो नोटिस रजिस्टर्ड डाक मय ए.डी. से भिजवाए एवं चैक अनादरण होने की सूचना दी व चैक में अंकित राशि की 15 दिवस में भुगतान करने की मांग की, जो आवासीय पते पर प्रेषित नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो चुका है तथा व्यापारिक पते पर भेजा गया नोटिस डाक लिफाफा सहित लेने से इंकार की टिप्पणी के साथ वापिस शपथकर्ता के अधिवक्ता को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार नोटिस की सूचना अभियुक्त राजकुमार को हो चुकी है। अभियुक्त ने नोटिस की सूचना के बावजूद निर्धारित अवधि 15 दिवस में तथा आज तक उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान शपथकर्ता को नहीं किया है।" इस संबंध मे परिवादी ने नोटिस को प्रदर्श पी. 6 तथा पोस्टल रसीद को प्रदर्श पी. 7 व प्रदर्श पी. 8 के रूप में प्रदर्शित कराया है। पोस्टल रसीद प्रदर्श पी. 7 व प्रदर्श पी. 8 से नोटिस अभियुक्त को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया जाना साबित है। अभियुक्त द्वारा परिवादी द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब भी दिया गया, जो परिवादी ने प्रदर्श पी. 9 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत चैक के संबंध में मांग नोटिस परिवादी द्वारा अभियुक्त को भेजे जाने व उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त होने का तथ्य साबित रहा है।

10.12 अतः उपरोक्त विवेचनानुसार चैक के संबंध में मांग नोटिस परिवादी द्वारा अभियुक्त को भेजे जाने का तथ्य साबित हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करना स्पष्ट है। अतः उपर्युक्तानुसार **विचारणीय बिंदु "ग"** परिवादी के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

10.13 इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में संपूर्ण साक्ष्य का विवेचन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि यद्यपि परिवादी यह साबित करने में सफल रहा है कि प्रश्नगत चैक अपर्याप्त निधि या समवर्ती कारणों से अनादरित हो गया तथा उक्त चैक के अनादरण के पश्चात उसके द्वारा विहित समयावधि में नोटिस दिया जाकर अनादरित चैक की राशि के संबंध में चैक के लेखीवाल से मांग की गई, जिसके उपरांत भी चैक के लेखीवाल द्वारा राशि नहीं लौटाई गई, परंतु वह यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त ने ऋण अथवा अन्य दायित्व के पूर्णतः या आंशिक संदाय हेतु परिवादी को स्वयं के खाते से चैक जारी किया हो। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय अभियुक्त राजकुमार लम्बरदार को अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में **दोषमुक्त** घोषित किया जाना उचित समझता है।

10.14 फलस्वरूप अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध साबित नहीं रहा है। अतः अभियुक्त **राजकुमार लम्बरदार** पुत्र ओमप्रकाश निवासी कलरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) को अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--::आदेश::--

11. फलस्वरूप अभियुक्त **राजकुमार लम्बरदार पुत्र ओमप्रकाश निवासी कलरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट हेतु **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

12. अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थित बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13. अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आगामी छह माह के लिए अपीलीय न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु 20,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका एवं इसी कदर राशि की एक

संतोषप्रद जमानत प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे।

(अंशिका)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट. प्रकरण)
हनुमानगढ़

14. निर्णय आज **दिनांक 06.08.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंशिका)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट. प्रकरण)
हनुमानगढ़

 Authenticated Document

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.11 16:35:37 IST